न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 06/2024

प्रार्थी– ***बनाम*** **अप्रार्थीगण–**

ग्राम पंचायत शिव, जरिये श्रीमती हवादेवी सरपंच, तहसील शिव जिला बाड़मेर

1. देवीसिंह पुत्र जीवनसिंह
2. गुलाबसिंह पुत्र जीवनसिंह
3. नरपतसिंह पुत्र जीवनसिंह
4. दुर्जनसिंह पुत्र जीवनसिंह जाति राजपूत निवासी बलाई, तहसील शिव जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या शून्य दिनांक 02.05.1986 जो ग्राम पंचायत शिव द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री गणपत गुप्ता, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री सुनील मेराजा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1से3 की ओर से अनुपस्थित।
3. अप्रार्थी सं 4 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 13.08.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत शिव की ओर से अप्रार्थी सं. 1 से 4 के पिता के पक्ष में जारी पट्टा संख्या शून्य दिनांक 02.05.1986 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।
2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी ग्राम पंचायत शिव द्वारा अप्रार्थी सं. 1 से 4 के पिता स्व. श्री जीवनसिंह पुत्र मानसिंह निवासी बलाई हाल शिव जाति राजपूत जिला बाड़मेर के पक्ष मे राजस्थान पंचायत एक्त 1953 की धारा 71 में अनु. जाति एवं अनु. जन जाति, कारीगरों लघु व सीमान्त कृषकों आवासीय भूमि/आबादी भूमि से निशुल्क आवासीय भूखण्ड आवंटन के अधीन ग्राम शिव में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख सं. शून्य दिनांक 02.05.1986 जारी किया गया। उक्त पट्टा ग्राम पंचायत शिव द्वारा बिना संकल्प लिये एवं नियमानुसार कार्यवाही किये जारी करने में घोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 13:16:00 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अनियमितता और अवैधानिकता बरती जाने को आधार मानते हुए प्रार्थी ने उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत शिव का प्रश्नगत अभिलेख मंगवाया गया। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत शिव द्वारा अपने पत्राचार क्रमांक 274 दिनांक 05.07.2024 द्वारा लिखित में प्रकट किया गया कि ग्राम पंचायत शिव के रेकर्ड मे उक्त पट्टे की मिसल व ग्राम सभा रजिस्टर उपलब्ध नहीं हैं। उक्त पट्टे के संबध में किसी प्रकार का रिकार्ड प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है।

4. हमने अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निगराकार हवादेवी ग्राम पंचायत शिव की वर्तमान मे सरपंच है जिसके द्वारा ग्राम पंचायत शिव की पंचायत बैठक दिनांक 20.03.2024 में प्रस्ताव संख्या 02 पारित किया गया कि ग्राम पंचायत की होदी के पास स्थित भूमि के संबंध में एक फर्जी पट्टे के आधार पर भू–माफियों द्वारा अतिक्रमण कर आपस में मिलीभगत करके भूमि का आपस मे बंटवारे का दावा प्रस्तुत किया गया है जिसमें पंचायत को पक्षकार भी नहीं बनाया है। उक्त तथाकथित पट्टे की जांच करवाने पर पाया गया कि जिस पट्टे के आधार पर दावा पेश किया गया है, ऐसा कोई पट्टा जारी करने के संबंध में निगराकार के ग्राम पंचायत में कोई अभिलेख नहीं है। उक्त पट्टे पर न तो क्रमांक न ही मिसल नंबर न ही बुक नं का अंकन है न ही पट्टे पर सचिव के हस्ताक्षर अंकित है। इस प्रकार ग्राम पंचायत शिव ने उक्त पट्टा जारी करने में विधिक प्रावधानों की अनदेखी की है। ऐसी स्थिति में पट्टा निरस्त योग्य हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र बाद जांच विवादित पट्टा संख्या शून्य दिनांक 02.05.1986 को प्रभावहीन एवं शुन्य घोषित करते हुए निरस्त फरमाया जावें।

5. अप्रार्थी सं. 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता दौरान सुनवाई अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय सुनवाई अमल में ली गई।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। अप्रार्थी ग्राम पंचायत शिव द्वारा अप्रार्थी सं. 1 से 4 के पिता स्व. श्री जीवनसिंह पुत्र मानसिंह निवासी बलाई हाल शिव जाति राजपूत जिला बाड़मेर के पक्ष मे रा[illegible] धारा 71 में अनु. जाति एवं अनु. जन जाति, कारीगरों लघु व सी[illegible]ों आबादी भूमि/अ. भूमि में से निशुल्क आवासीय भूखण्ड [illegible] मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय वि[illegible]02.05.1986 जारी किया गया। उक्त पट्टा ग्राम पंचायत शिव द्वारा बिना संक[illegible] लिये एवं नियमानुसार कार्यवाही किये जारी करने मे घोर अनियमितता और अवैधानिकता बरती जाने को आधार

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 13:16:00 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

मानते हुए प्रार्थी ने उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र में मुख्य आधार यह प्रकट किया हैं कि उक्त तथाकथित पट्टे की जांच करवाने पर पाया गया कि पट्टे पर न तो क्रमांक न ही मिसल नंबर न ही बुक नं का अंकन है न ही पट्टे पर सचिव के हस्ताक्षर अंकित है। इस प्रकार अभिलेखीय तौर पर यह प्रमाणित है कि आलोच्य पट्टे पर न तो क्रमांक न ही मिसल नंबर न ही बुक नं का अंकन है न ही पट्टे पर सचिव के हस्ताक्षर अंकित है। इसके साथ ही पट्टे में भूमि की सीमा एवं पड़ोस एवं क्षेत्रफल का अंकन नहीं किया गया है। ऐसे में राजस्थान पंचायतीराज नियमों की औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना जारी किया गया आलोच्य पट्टा विधि विरुद्ध एवं अनियमित होने से खारिज योग्य है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत शिव द्वारा अप्रार्थी संख्या 1से4 के पिता जीवनसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत निवासी बलाई हाल शिव के पक्ष में जारी पट्टा संख्या शुन्य दिनांक 02.05.1986 निरस्त किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 13.08.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 13:16:00 IST
Reason: SelfAttested